न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी–हेमन्तकुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	दायर दिनांक	तारीख फैसला
72 / 2023	04 / 07 / 2023	3/11/2025

1. शंकरलाल पुत्र केदारलाल जाति मीना निवासी नारायणपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. शोभागमल पुत्र केदारलाल जाति मीना निवासी नारायणपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादीगण

बनाम

1. जानकीबाई पत्नि स्व. केदारलाल जाति मीना निवासी नारायणपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. बद्रीबाई उर्फ केदारीबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि रामप्रताप जाति मीना निवासी नारायणपुरा हाल मुकाम विनायका पोस्ट विनायका तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
3. सुरजाबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि प्रेमचन्द जाति मीना निवासी नारायणपुरा हाल मुकाम लुहावद पोस्ट लुहावद तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
4. महावीर पुत्र बद्री जाति मीना निवासी नारायणपुरा हाल मुकाम डोरली पोस्ट विनायका तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
5. हेमराज पुत्र बद्री जाति मीना निवासी नारायणपुरा हाल मुकाम डोरली पोस्ट विनायका तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रतिवादीगण

निर्णय

वाद अर्न्तगत धारा 88,89,91,92ए,188

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा संख्या 281 रकबा 0.74 हैक्टेयर बरानी तृतीय, कुल खसरे 1 कुल रकबा 0.74 हैक्टेयर ग्राम नारायणपुरा पटवार हल्का नौनेरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० के माल में स्थित है। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दादा श्री जगन्नाथ जी से विरासत मे प्राप्त हुई है। जिसे वाद पत्र में आगे विवादित आराजी सम्बोधित किया गया है। प्रतिवादीगण, वादीगण के माँ, भुआ व चचेरे भाई है। यह कि खसरा संख्या 118 रकबा 1.70 हैक्टेयर नहरी दोयम, खसरा संख्या 131 रकबा 1.96 हैक्टेयर नहरी दोयम, खसरा संख्या 135 रकबा 1.52 हैक्टेयर नहरी दोयम, खसरा संख्या 194 रकबा 0.04 हैक्टेयर नहरी प्रथम, खसरा संख्या 195 रकबा 0.36 हैक्टेयर नहरी प्रथम, खसरा संख्या 530/135 दिशा पश्चिम रकबा 0.07 हैक्टेयर नहरी दोयम कुल किता 6 कुल रकबा 5.65 हैक्टेयर वाके माल ग्राम डोरली पटवार हल्का विनायका भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे स्थित है। ग्राम डोरली की कृषि आराजी कुल किता 6 कुल रकबा 5.65 हैक्टेयर, भूमि पर प्रतिवादी क्रम 04 व 05 के पिता बद्रीलाल पुत्र जगन्नाथ रिश्ते मे अपनी भुआजी कान्हीबाई केगोद पुत्र चले गये थे तो प्रतिवादीगण 05 व 06 उक्त वर्णित ग्राम डोरली मे स्थित आराजी पर उनके पिता ब्रदीलाल के

समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। बद्रीलाल द्वारा अपने जीते जी अपनी पेतृक सम्पत्ति ग्राम नारायणपुरा मे स्थित कृषि आराजी खसरा संख्या 281 रकबा 0.74 हैक्टेयर बाबती तृतीय पर आज से करीबन 50 वर्ष पूर्व अपना कब्जा स्वैच्छा से अपने सगे भाई केदारलाल को कब्जा स्वेच्छा से सुपुर्द कर दिया था तब से वादीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी ग्राम नारायणपुरा खसरा संख्या 281 रकबा 0.74 हैक्टेयर पर 50 वर्षों से कानिज काश्त चले आ रहे है, और आज भी वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला रहा है क्योकि प्रतिवादीगण 04 व 05 के पिता बद्रीलाल समाज के व परिवार की स्वेच्छा से ग्राम डोरली मे गोदपुत्र गये थे और बद्रीलाल का हिस्सा ग्राम डोरली की भूमि मे था और अपनी पेतृक भूमि मे से अपना हिस्सा स्वेच्छा से छोड दिया था और अपने भाई केदारलाल को स्वैच्छा से कब्जा सुपुर्द कर दिया था और समाज की मौजूदगी में बद्रीलाल ने अपने पिता जगन्नाथ की भूमि से अपना हिस्सा त्याग कर दिया था। एवं प्रतिवादी क्रम 04 व 05 के दादा जगन्नाथ की ईच्छा से अपने पुत्र बद्रीलाल को गोद पुत्र दिया था बद्रीलाल का हिस्सा ग्राम डोरली की आराजी पर रहेंगा और वादीगण का हिस्सा वादीगण के पिता केदारलाल की नारायणपुरा की कृषि आराजी पर रहेगा इस प्रकार का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 03 व 04 के दादा जगन्नाथ ने अपनी मौजूदगी मे मौखिक बंटवारा कर दिया था उसी हिसाब से जगन्नाथ के पुत्र केदारलाल का हिस्सा ग्राम नारायणपुरा की भूमि पर रहा और बद्रीलाल का हिस्सा ग्राम डोरली की कृषि आराजी पर रहा और आज भी उसी हिसाब से वादीगण व प्रतिवादीक्रम 04 व 05 कृषि काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण को उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होने के आधार पर प्रतिवादी क्रम 04 व 05 के हिस्से की भूमि पर खातेदारी घोषणा कराने का विधिक अधिकार नियत है। व प्रतिवादी क्रम 04 व 05 का राजस्व रिकॉर्ड मे जो अकंन हे उसको विलोपित किया जावें और उसके स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जावें। यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्व. श्री जगन्नाथ जी के पुत्र एवं पोत्र हे विवादित भूमिया जगन्नाथ जी के स्वर्गवास के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण एवं उनके विधिक उत्तराधिकारी होने से प्राप्त हुई है। प्रतिवादीक्रम 01, 02 व 03 का नाम राजस्व अभिलेख में अकिंत कर दिया है, जो कानूनन अवैध है और ग्राम नारायणपुरा की कृषि आराजी से इनका नाम विलोपित किया जायें। ओर उनके स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अकिंत किया जावें। क्योकि उक्त भूमि पर प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 का कब्जा काश्त नही है। यह कि राजस्व भूमि सम्बन्धी खातेदार की अधिकारो की घोषणा एवं निषेधाज्ञा सम्बन्धी अनुतोष प्रदान करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हे इसलिये माननीय न्यायालय के समक्ष जगन्नाथ के स्वर्गवास के उपरान्त वादीगण उनकी मात्र नेसर्गिक विधिक उत्तराधिकारी होने से खातेदारी की घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी है। तदर्थ श्रीमान की सेवा मे वाद प्रस्तुत है। यह कि वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 3 की जाति मीणा (अनुसुचित जनजाति) होने से पक्षकारो पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है। व पक्षकार प्राचीन शास्त्रीय हिन्दु विधि से शासित होते है, जिसके अधीन पति की सम्पत्ति विधवा पत्नि एवं पुत्री को केवल मात्र आजीवन भरण पोषण हेतु उपयोग–उपभोग का ही सिमित अधिकार प्राप्त होता है तथा पति की सम्पत्ति को अन्यत्र संक्रमित अथवा अन्तरित करने का अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इसी प्रकार स्व. जगन्नाथ के खाते की विवादित भूमि मे विधवा पत्नि व पुत्रीया प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 को केवल मात्र

स्वयं का आजीवन भरण पोषण हैतु उपयोग एवं उपभोग का सिमित अधिकार प्राप्त है तथा उक्त भूमि को अन्यत्र संक्रमित अथवा व्यनित आदि करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इससे स्पष्ट परिलक्षित हे कि राजस्व अभिलेख मे प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 के नाम का अकंन अवैध अनाधिकृत एवं वादीगणो के हितो के विरूद्ध प्रभावशून्य घोषित किये जाने योग्य है। यह कि विवादित भूमि मे स्व. जगन्नाथ के हिस्से की भूमि ग्राम नारायणपुरा वादीगण के ही कब्जे व वास्तविक नियन्त्रण में है विवादित भूमि से वादीगण को विरासत से वचिंत कर अन्य संक्रमित अथवा व्यनित करने का प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 को कोई अधिकार प्राप्त नही है। किन्तु राजस्व अभिलेख मे स्वयं के अकंन का अनुचित लाभ उठाकर प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 वादीगण का विवादित भूमि उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है जिसका की उन्हें कोई अधिकार नही हे जबकी वादीगण को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 को जरिये स्थायी निषेद्याज्ञा निषेधित करवायें कि वह उक्त भूमि स्व. श्री जगन्नाथ के हिस्से की भूमि पर वादीगण को शांतिपूर्ण काश्त करने मे किसी प्रकार की बाधा व व्यवधान उत्पन्न नही करें तथा अन्यत्र संक्रमित अथवा व्यनित आदि नहीं करें इसके अतिरिक्त वादीगण के पास अन्तः कोई समीचीन एवं प्रभावी अनुतोष उपलब्ध नहीं है। तदर्थ वाद प्रस्तुत है। यह कि प्रतिवादी क्रम 06 तहसीलदार पीपल्दा को भू–धारक होने से आवश्यक पक्षकार संयोजित किया गया है उनसे कोई विशेष अनुतोष वाछिंत नही है। यह कि प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 उक्त विवादित भूमि ग्राम नारायणपुरा खसरा संख्या 281 कुल रकबा 0.74 हैक्टेयर मे संयुक्त खातेदार है इसलिये वादीगण उक्त भूमि पर कृषि काश्त करते चले आ रहे है प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है। प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 का खाते से नाम विलोपित किया जावें। यह कि वाद कारण दिनांक 28.05.2023 को प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 द्वारा राजस्व अभिलेख मे स्वयं के अकंन का अनुचित लाभ उठाकर प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 वादीगण को विवादित भूमि ग्राम नारायणपुरा के उपयोग एवं उपभोग मे बाधा उत्पन्न करने तथा उक्त भूमि को अन्यत्र संक्रमित, व्यनित की धमकी देने पर ग्राम नारायणपुरा तहसील पीपल्दा मे वाद कारण उत्पन्न हुआ है। वादी द्वारा आशय का निर्णय एवं डिक्री पारित करने का निवेदन किया है कि ग्राम नारायणपुरा पटवार हल्का नोनेरा भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० के माल मे खसरा संख्या 281 रकबा 0.74 हैक्टेयर बारानी तृतीय कुल खसरे 1 कुल रकबा 0.74 हैक्टेयर भूमि मे प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 का नाम खाते से विलोपित किया जावें और प्रतिवादी क्रम 04 व 05 के स्थान पर वादीगण को खातेदारी की घोषणा की जावें उक्त भूमि पर वादीक्रम 01 का 1/2 हिस्सा और वादीक्रम 02 का 1/2 हिस्सा नियत किया जावें और राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावें। प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 को इस आशय की स्थायी निषेद्याज्ञा से निषेधित किया जावें कि वह स्वयं अथवा जरिये प्रतिनिधि से विवादित भूमि मे वादीगण के नियत हिस्से का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा व व्यवधान उत्पन्न नही करें। दौराने वाद राजस्व अभिलेख मे हो रहै अकंन के आधार पर प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 को विवादित भूमि को अन्यत्र संक्रमित करने में सफल हो जाये तो अन्य संक्रमण को वादीगण के हितो के विरूद्ध शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावें। वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो वादीगण हितार्थ हो प्रतिवादीगण से दिलाई जावें।

वाद दर्ज रजि0 किया गया प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन करवाई गई। प्रतिवादीगण की तलबी जरिय रजि0 एडी0 करवाने उपरान्त भी न तो प्रतिवादीगण उपस्थित हुए न ही प्रतिवादीगण की ओर से कोई उनका को प्रतिनिधी उपस्थित हुए। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी में नियत की गई। दिनांक 16.09.2025 को वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्यवादी पी0डब्लू 01 शंकर लाल के शपथ पत्र पेश किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में वाद पत्र के साथ जमाबन्दी ग्राम नारायणपुरा संवत 2076–79 प्रदर्श पी–1, नजरी नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी–2 एवं जमाबन्दी ग्राम डोरली संवत 2073–76 पेश किए। पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई। वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। दौराने बहस में वादी अधिवक्ता ने वाद में अंकित तत्यों को दौहराया गया। न्यायालय ने वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोनक किया गया।

जगन्नाथ

सुरजाबाई	बद्रीलाल	केदारलाल	ब्रदीबाई उर्फ केदारीवाई
पुत्री	पुत्र	पुत्र	पत्नि
	महावीर पुत्र	जानकीबाई पत्नि	
	हेमराज पुत्र	शंकरलाल पुत्र	
		शोभागमल पुत्र	

ब्रदीलाल द्वारा केदार को हक त्याग के साक्ष्य नहीं है। ब्रदीलाल गोद गए अपनी बुआ कान्हीबाई को भी कोई साक्ष्य नहीं है। ब्रदीलाल का 50 वर्ष से कब्जा साबित नहीं कर पाया है। मौखिक बंटवारे व सहमति के कोई दस्तावेज नहीं है। प्रतिवादीक्रम 2 व 3 के विवादित होने का कोई साक्ष्य या दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पर विलोपित नहीं किया जा सकता है। वाके माल ग्राम डोरली पटवार हल्का विनायका भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे स्थित खसरा संख्या 118 रकबा 1.70 हैक्टेयर नहरी दोयम, खसरा संख्या 131 रकबा 1.96 हैक्टेयर नहरी दोयम, खसरा संख्या 135 रकबा 1.52 हैक्टेयर नहरी दोयम, खसरा संख्या 194 रकबा 0.04 हैक्टेयर नहरी प्रथम, खसरा संख्या 195 रकबा 0.36 हैक्टेयर नहरी प्रथम, खसरा संख्या 530/135 दिशा पश्चिम रकबा 0.07 हैक्टेयर नहरी दोयम कुल किता 6 कुल रकबा 5.65 हैक्टेयर ब्रदीलाल को पारिवारिक बंटवारे से मिली इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। ग्राम नारायणपुरा पटवार हलका नौनेरा तह0 पीपल्दा में स्थित ख0नं0 281 रकबा 0.74है0 वादी व प्रतिवादी के खाते कैसे आई यह साबित नहीं है। विवादित आराजी के स्वअर्जित व पैतृक होने का भी कोई प्रमाण नहीं है। एकतरफा कार्यवाही की स्थिति में मौखिक साक्ष्य प्रतिपरीक्षण के अभाव में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं। अतः वादी का वाद अस्वीकार कर साक्ष्यों के अभाव में खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०
मिसल संख्या
72/2023

तारीख दायरा
04/07/2023

तारीख फैसला
7/11/2025

1. शंकरलाल पुत्र केदारलाल जाति मीना निवासी नारायणपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. शोभागमल पुत्र केदारलाल जाति मीना निवासी नारायणपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादीगण

बनाम

1. जानकीबाई पत्नि स्व. केदारलाल जाति मीना निवासी नारायणपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. बद्रीबाई उर्फ केदारीबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि रामप्रताप जाति मीना निवासी नारायणपुरा हाल मुकाम विनायका पोस्ट विनायका तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
3. सुरजाबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि प्रेमचन्द जाति मीना निवासी नारायणपुरा हाल मुकाम लुहावद पोस्ट लुहावद तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
4. महावीर पुत्र बद्री जाति मीना निवासी नारायणपुरा हाल मुकाम डोरली पोस्ट विनायका तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
5. हेमराज पुत्र बद्री जाति मीना निवासी नारायणपुरा हाल मुकाम डोरली पोस्ट विनायका तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रतिवादीगण

निर्णय

वाद अर्न्तगत धारा 88,89,91,92ए,188

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री हरिमोहन मीणा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का का अस्वीकार किया जाकर साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक .... को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत०			मुत०		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा